

आदेश

कार्यवाही विवरण

10-01-23

पत्रावली पेश हुई। वकील कैवियट कर्ता उपस्थित। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में आज दिनांक तक कैवियट के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है। कैवियट दिनांक 27.09.2022 को पेश किया गया जिसको तीन माह से अधिक समय की अवधि हो चुकी है। कैवियट प्रार्थना पत्र की 90 दिवस की समयावधि है। चूंकि कैवियट प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं होने तथा समयावधि पूर्ण होने से प्रार्थना पत्र को चलाया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.01.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


ए. सी. ई. एम. (फा. डे.)
नवलगाड

